मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व, भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)
पीठसीन अधिकारी :– शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०

सन्दीप S/o धर्मेन्द्रपाल
जाति जाट निवासी सिकरोड़ी

उनवान
बनाम

1. कमला पत्नी धर्मेन्द्रपाल
2. जितेन्द्र पुत्र धर्मेन्द्रपाल
3. ममता } पि० धर्मेन्द्रपाल
4. समेस्ता }
जाति जाट निवासी सिकरोड़ी

दावा बाबत :– 88 RT Act

मुकदमा नम्बर :– 85/2020

निर्णय दिनांक :– 18/11/2021

वादी की ओर से वकील मुंशीराम गोस्वामी की व प्रतिवादीगण की ओर से वकील सुरजीत बिजारणियां की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18/11/2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा चक 2KRP के खाता संख्या 50/47 के मु. न. 25 के किला न. 3 ता 8, 13 ता 18, 22/2, 23/1 कुल किता 14 की कुल 3.288 हैक्टेयर नहरी मय खाला में धर्मेन्द्रपाल का नाम कलमजद किया जाकर वादी सन्दीप व प्रतिवादी संख्या 1 कमला, प्रतिवादी संख्या 2 जितेन्द्र को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है, इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा हो। यदि उक्त भूमि बैंक में रहन है तो रहन मुक्त होने पर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

शकुंतला चौधरी (RAS)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (हनुमानगढ़)